न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 63/2014 **दायर दिनांकः 09.07.2014**

उनवान

1. डेनिस आयु 41 वर्ष पुत्र डेनियल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. चेरिंगटन आयु 68 वर्ष पुत्र ईमानवेल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।
प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

निर्णय

दिनांक 25.04.2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 183, 188 आर टी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तह0 अटरू जिला बारां की खाता संख्या 18 की ख0नं0 33/985 की 0.02 है0 ख0नं0 121/1027 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 162 का रकबा 0.98 है0, ख0नं0 195 का रकबा 1.24 है0, ख0नं0 206 का रकबा 2.98 है0, ख0नं0 280 की 2.10 है0, ख0नं0 288 की 2.10 है0, ख0नं0 288/962 की 2.26 है0, ख0नं0 269 की 0.06 है0, ख0नं0 290/1064 की 0.20 है0, ख0नं0 585 की 0.34 है0, ख0नं0 715 की 0.12 है0, ख0नं0 731 की 0.05 है0, ख0नं0 879 की 0.12 है0, कुल किता 14 का कुल रकबा 12.63 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 3/5 हिस्सा बनता है। वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है, जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 3/5 दर्ज खाता है जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा था। परन्तु 2 वर्ष पूर्व प्रतिवादी ने वादी के हिस्से की आराजी ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 पर जबरन दादागिरी के बल पर वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा कर लिया। वादी ने मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ और धमकी दी कि मै तुम्हारे कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी पर कब्जा करके रहूंगा। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा

से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के स्वामित्व की आराजी पर कब्जा नही करें तथा वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो प्रतिवादी स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा बनाये रखा तो वादी अपने कब्जे व हिस्से की आराजी पर से वंचित होना पडेगा एवं अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। जिसकी पूर्ति वाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी इस वजह से वादी यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावें कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता सं0 18 की कुल किता 14 रकबा12.63 है0 मेंख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावें तथा को उसके स्वामित्व व कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो प्रतिवादी स्वयं उत्पन्न न अपने प्रतिनिधियों से करावें। इस हेतु यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण 2 वर्ष पूर्व दिनांक 15.06. 2012 को प्रतिवादी द्वारा वादी के हिस्से की आराजी को जबरन हांककर कब्जा करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 20.06.2014 को प्रतिवादी द्वारा के हिस्से की आराजी पर से कब्जा छोडने से मना करने पर तथा लडाई झगडा करने पर आमादा होने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 18 की कुल किता 14 रकबा 12.63 है0 में से ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 की आराजी पर सेप्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावें तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी शामलाती खाते की होना तथा वादी का 3/5 दर्ज खाता होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार नही है क्योंकि ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0 पर प्रतिवादी का कब्जा पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से चल रहा है। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम पिपलोद में स्कूल के पीछे तथा पिपलोद अटरू संडक के पश्चिम में है। तथा ऐरिकसन पुत्र अयूब ईसाई की बाडी के उत्तर साइड में है। जिसका पुराना रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा था। वाद पत्र का मद नं0 3 स्वीकार नही है क्योंकि जब वादी का कब्जा काश्त ही नही है तो आराजी पर किस आधार पर वह प्रतिवादी को पाबन्द करा सकता है। वाद पत्र का मद नं0 4 स्वीकार नही है क्योंकि वादी द्वारा बेदखली का अनुतोष चाहा गया है इसलिए न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है तथा वादी का वाद बेरून मियाद होने की वजह से वादी का वाद काबिल निरस्तनीय है। वाद पत्र का मद नं0 5 अस्वीकार है क्योंकि वादी के शामलाती खाते की आराजी ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0 पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा नही किया है बल्कि प्रतिवादी का लम्बा कब्जा होने पर स्वयं वादी के पिता एवं अन्य सहखातेदार ने 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी का बेचान प्रतिवादी के पक्ष में सन् 1999 में किया है। वाद पत्र का मद नं0 6 अस्वीकार है क्योंकि आराजी प्रतिवादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है। कोई विवाद ग्रस्त आराजी नही है। वाद पत्र का मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 8 अस्वीकार है। वाद बेरून मियाद होने की वजह से काबिल निरस्तनीय है।

—::<u>विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र</u>::—

प्रतिवादी आराजी ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है माल पिपलोद को पिछले50 वर्षों से शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। और प्रतिवादी का लम्बे समय का कब्जा काश्त होने की वजह से वादी के पिताजी डेनियल तथा जिलिना ने उनके खाते की आराजी 2 बीघा 2 बिस्वा का बैचान 51000/— रूपये में दिनांक 21/06/1999 को प्रतिवादी को किया है जिसका नवीन ख0ं0 585 का रकबा 0.34 है जो ग्राम पिपलोद में स्कूल के पीछे तथा अटरू पिपलोद रोड के पश्चिम में तथा ऐरिकसन ईसाई निवासी पिपलोद की बाडी के उत्तर में है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी का लम्बा कब्जा होने की वजह से प्रतिवादी को by opration of law स्वत ही खातेदारी अधिकार

प्राप्त हो चुके है। इस वजह से प्रतिवादी जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि वादी का वाद बेरून मियाद होने की वजह से खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0 पर प्रतिवादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रतिवादी को उसके स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मन घडन्त तथ्यों पर एवं बेरून मियाद पेश होने की वजह से काबिल निरस्तनीय है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर तथा अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निम्न आशय की पारित की जावें किः—

(अ) वादी का वाद बेरून मियाद होने की वजह से खारिज फरमाया जावें।
(ब) आराजी ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू पर प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जावें।
(स) वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रतिवादी को ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0 को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें।
(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वह प्रतिवादी को प्रदान की जावें।

वादी द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि प्रतिवादी पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। प्रतिवाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है। अपितु कथन है कि प्रतिवादी ने वादी के स्वामित्व की आराजी 0.34 है0 पर 3 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा कर लिया था। प्रतिवाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। अपितु कथन है कि वादी अपने हिस्से की आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल करवाकर स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है अपितु कथन है कि वादी रिकार्डेड खातेदार होने से न्यायालय से अतिक्रमी प्रतिवादी को बेदखल एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने दावा अवधि मध्य ही पेश किया है। प्रतिवादी पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। अपितु कथन है कि वादी के पिता एवं सह खातेदार ने 1999 में 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी का बैचान नही किया है प्रतिवादी ने बैचान की बात मनगडन्त लिखी है। प्रतिवाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है अपितु कथन है कि विवादित आराजी प्रतिवादी के स्वामित्व की नही है प्रतिवाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। प्रतिवाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है अपितु कथन है कि वादी ने दावा अवधि मध्य पेश किया है।

—::विशेष कथन जवाब उल जवाब::—

विशेष कथन कि मद नं0 1 अस्वीकार है। अपितु कथन है कि ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0 पर प्रतिवादी का 50 वर्षों से कब्जा नही है। प्रतिवादी ने 3 वर्ष पूर्व विवादित आराजी पर कब्जा किया है। इसलिये प्रतिवादी किसी भी प्रकार से खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी नही है। वादी के पिताजी एवं अन्य सह खातेदारान ने प्रतिवादी को कोई आराजी बैचान नही की। यदि आराजी बैचान की होती तो प्रतिवादी का नाम खाते में होता इसलिये प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी को वादी के हिस्से की आराजी के ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0 पर से बेदखल किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। विशेष कथन की मदनं0 2 अस्वीकार है। अपितु कथन है कि वादी ने वाद पत्र सही तथ्यों पर अवधि मध्य पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावें। विशेष कथन की मद नं0 3 अस्वीकार है। अनुतोष प्रतिवादी अस्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी की ओर से जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र मय हर्जा खर्जा खारिज फरमाया जावें तथा वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादित आराजी का वादी हिस्सा 3/5 का खातेदार काश्तकार है। ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी हकदार है। **(भा0स0 वादी)**
2. आया ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 ग्राम पिपलोद की आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा पिछले 50 वर्षो से चला आ रहा है। **(भा0स0 प्रतिवादी)**
3. आया उक्त आराजी का बैचान वादी के पिता एवं अन्य सहखातेदारों द्वारा प्रतिवादी को किया गया है। **(भा0स0 प्रतिवादी)**
4. आया उक्त विवादित आराजी का प्रतिवादी को क्रय किये जाने एवं लम्बे अर्से से कब्जा काश्त होने से प्रतिवादी उक्त आराजी ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा सकने का अधिकारी है। तथा खिलाफ वादी के स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा सकने का अधिकारी है। **(भा0स0 प्रतिवादी)**
5. अनुतोष।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत PW_1 से PW_6 के शपथ पत्र पेश किये अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई तथा साक्ष्यप्रतिवादी के तहत DW_1 से DW_5 के शपथ पत्र पेश किये अभिभाषक वादी द्वारा जिरह की गई,

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्नप्रकार किया जाता हैः—

1. **तनकी संख्या 1—** आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादित आराजी का वादी हिस्सा 3/5 का खातेदार काश्तकार है। ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी हकदार है। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा वाद पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 ग्राम पिपलोद खाता संख्या 18 किता 14 रकबा 12.63 है0 शामलाती खाते की नकल पेश की है। जिसमें वादी को हिस्सा 3/5 दर्ज है जिस पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर लिया हो तो उसे बेदखल कर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
2. **तनकी संख्या 2—** आया ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 ग्राम पिपलोद की आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा पिछले 50 वर्षो से चला आ रहा है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी द्वारा पिछले 50 वर्षो से कब्जा बाबत् DW_1 शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। जिरह वकील वादी के दौरान कथन किया गया कि मै 2007 के पहले शुगर मिल में काम करता था 2007 के पहले मेरे नोकर खेती बाडी करते थे जो पांती से करते थे रसीद P33 वर्ष 2007, 2009, 2011, 2013, 2016 कुल 5 रसीदें पेश की है। तथा दिनांक 21.06.1999 में 10 रूपये का स्टाम्प जमीन क्रय करने हेतु पेश किया है जो प्रदर्श P 6 है। प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य अनुसार विवादित आराजी पर प्रतिवादी का पिछले 50 वर्षो से कब्जा होना नही पाया जाता है। अतः तनकी नं0 2 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।
3. **तनकी संख्या 3—** आया उक्त आराजी का बैचान वादी के पिता एवं अन्य सहखातेदारों द्वारा प्रतिवादी को किया गया है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी द्वारा P 33 वर्ष 2007, 2009, 2011, 2013, 2016 खातेदार डेनियल के नाम की जो वादी के पिता है। व 10 रू. का बैचान नामा स्टाम्प अनरजिस्टर्ड पेश किया है। जिससे साबित नही होता है अतः तनकी संख्या 3 विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. **तनकी संख्या 4–** आया उक्त विवादित आराजी का प्रतिवादी को क्रय किये जाने एवं लम्बे अर्से से कब्जा काश्त होने से प्रतिवादी उक्त आराजी ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा सकने का अधिकारी है। तथा खिलाफवादी के स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा सकने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में वर्ष 2007, 2009, 2011, 2013, 2016 की P33 रसीद खातेदार डेनियल के नाम की है। तथा 10 रूपये का स्टाम्प अनरजिस्टर्ड पेश किया है। स्थायी सम्पत्ति का हस्तान्तरण पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा ही विधि सम्मत अपंजीकृत दस्तावेज से हस्तान्तरण मान्य नही है। प्रतिकूल कब्जों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही करवा सकता है।

अतः तनकी संख्या विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है। अनुतोष वादी स्वीकार है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 18 की ख0नं0 33/985 की 0.02 है0 ख0नं0 121/1027 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 162 का रकबा 0.98 है0, ख0नं0 195 का रकबा 1.24 है0, ख0नं0 206 का रकबा 2.98 है0, ख0नं0 280 की 2.10 है0, ख0नं0 288 की 2.10 है0, ख0नं0 288/962 की 2.26 है0, ख0नं0 269 की 0.06 है0, ख0नं0 290/1064 की 0.20 है0, ख0नं0 585 की 0.34 है0, ख0नं0 715 की 0.12 है0, ख0नं0 731 की 0.05 है0, ख0नं0 879 की 0.12 है0, कुल किता 14 का कुल रकबा 12.63 है0 में से ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 पर से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के आदेश किये जाते है। तथा प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 63/2014

उनवान

1. डेनिस आयु 41 वर्ष पुत्र डेनियल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. चेरिंगटन आयु 68 वर्ष पुत्र ईमानवेल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 18 की ख0नं0 33/985 की 0.02 है0 ख0नं0 121/1027 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 162 का रकबा 0.98 है0, ख0नं0 195 का रकबा 1.24 है0, ख0नं0 206 का रकबा 2.98 है0, ख0नं0 280 की 2.10 है0, ख0नं0 288 की 2.10 है0, ख0नं0 288/962 की 2.26 है0, ख0नं0 269 की 0.06 है0, ख0नं0 290/1064 की 0.20 है0, ख0नं0 585 की 0.34 है0, ख0नं0 715 की 0.12 है0, ख0नं0 731 की 0.05 है0, ख0नं0 879 की 0.12 है0, कुल किता 14 का कुल रकबा 12.63 है0 में से ख0नं0 585 रकबा 0.34 है0 पर से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के आदेश किये जाते है। तथा प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.04.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)